रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स नं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 अक्टूबर, 2017 ई० (आश्विन 15, 1939 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख—नगर पंचायत,

खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

21 सितम्बर, 2017 ई०

सं० 5441/23-36(2012-15)स्शा०नि०रा०-II—जिला पंचायत चन्दौली द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन के नक्शे मत्स्य पालन एवं मोबाइल टावर जो व्यवसायिक उद्देश्य से बनाये गये हैं, को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाई गयी है उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत चन्दौली ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक क्षेत्र को हटाते हुये शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपतिधियां बनायी गयी है। जिसे मैं, निति रमेश गोकर्ण, आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेगी। यह उपविधि जिला पंचायत, चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्र में भवन के नक्शे, मत्स्य पालन एवं मोबाइल टावर को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि कही जायेगी।

उपविधियां

ये उपविधियां जिला पंचायत चन्दौली के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित

Scanned with CamScanner

भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं मोबाइल टावर की स्थापना को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कहलायेगी।

परिभाषाएं—

1—"अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—"ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी तथा नगरनिगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुये जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुये भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राईग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिये दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिये बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिये किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रूप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क बाजार, जनसुविधायें आदि का प्राविधान हो।

14—लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भूनिर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15—प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है :

(अ) अभियन्ता—अभियन्ता, जिला पंचायत, चन्दौली।

(ब) अवर अभियन्ता—इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य जिला पंचायत, चन्दौली में कार्यरत उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिये निदेशित (Designated) किया गया हो।

Scanned with CamScanner

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत, चन्दौली से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिये भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सैटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत चन्दौली से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत चन्दौली से है।

24–बहुमंजिली भवन (Malty Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसकें ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बारान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगी।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एंवं सुविधायें जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हो और उसी भवन में स्थित हो सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वनलशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरिटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बन्द या खुले स्थान से है जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

Scanned with CamScanner

32–उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क सूची में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर जिला पंचायत द्वारा की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी, गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी, उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building code एवं bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेंगे।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा–

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी–

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासी भवनों पर लागू नहीं होगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग रोशन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुर्ननिर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुर्ननिर्माण।

(व) मिट्टी खोदना या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भूखण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें, उनके नाम; समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे–विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख इत्यादि।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

(ब) नक्शे पर पंजिकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र

Scanned with CamScanner

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायी, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

(ल) स्थल का, की-प्लान, लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्कैप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भूखण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता

(स) नक्शे पर भूखण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण

3–बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी :

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट, अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भूखण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन--उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का श्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)

(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट-पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटन (Linten) अथवा छत पर स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सिलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर की दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन से कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building gode) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भूखण्ड के डैड एण्ड (Dead end) पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिल भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भूखण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टायलेट ब्लाक, ड्राइवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुये पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं क्षेत्रफल 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.00 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4-(क) पार्क, टोट-लोटस (Tot-Lots), लैंडस्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्परोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिये उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Groud Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियों (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे-

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई जनपद चन्दौली में (मीटर)
1	2	3	4	5
1 (i)	आवासीय भवन भूखण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15
(ii)	आवासीय भवन भूखण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	12
4	व्यवसायिक भवन-			
(i)	सुविधा (Convenient), शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	21
(ii)	बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	18
(iii)	वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	15
(iv)	दुकाने व मार्केट	60	1.50	10

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
5	संस्थागत एवं शैक्षिणिक भवन			
(i)	सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	15
(ii)	हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	15
(iii)	हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	15
6	धार्मिक अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैरा गोदाम, शीतगृह	40	0.50	6
7	कार्यालय भवन सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	10
9	नर्सरी	10	0.50	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फॉर्म	20	0.30	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6

(छ) सेट बैक (set back)

क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscaping)	खुला स्थान प्रतिशत तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.00	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मी0	25
2	151—300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301—500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501—2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001—8000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	8001—12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001—20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001—40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	18.0	12.0	12.0	तदैव	50

Scanned with CamScanner

(ज) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भूखण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हास्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृ(FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृति (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्धति; अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊचें भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हास्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगें। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्राविधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carrige Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिये।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊचें भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा, जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रानिक लाईन से दूरी

क्र0सं0	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम बोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई बोल्टेज लाइन 33000 बोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई बोल्टेज लाइन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 बोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 बोल्टेज पर

Scanned with CamScanner

(ठ) मोबाइल टावरों की स्थापना

क-मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

ख-जनरेटर केवल साइलेंट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

ग-यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

घ-जहां अपेक्षित हो वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया/वायु सेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ड-सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी का संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

च-इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छ-अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए जनपद चन्दौली में 50,000.00 रु0 (पचास हजार रुपये मात्र) प्रथम बार शुल्क के रूप में जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

ज-शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासी बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क-आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन-

जनपद चन्दौली में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 25 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

ख-(व्यवसायिक/व्यापारिक भवन)-

जनपद चन्दौली में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

ग-(i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है।

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपयोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाइप आदि।

(iv) किसी परियोजना का लेआउट प्लान (तल पट मानचित्र)।

उपरोक्त ग-(i) से (iv) तक, जनपद चन्दौली में यह दर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

घ-पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

ङ-स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

च-बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

छ-यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

Scanned with CamScanner

ज-उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, निजी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding fees) रोपित प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी।

झ-जनपद चन्दौली में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

ट-जनपद चन्दौली में बाउण्ड्रीवाल स्वीकृति की दर 5 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी।

नोट-(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)।

(ढ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1-स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2-ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3-कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5-अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7-अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8-अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9-जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की सम्भाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10-अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) करके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

Scanned with CamScanner

11-अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12-आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13-उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14-यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद-उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instrucions)

1-भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति ततसमय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2-भूखंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3-भवन के भूतल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4-निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी शर्तों के होते भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6-उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Simailar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8-इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है। किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

क-अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में शोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

ख-पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शें ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

ग-कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(थ) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चन्दौली निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1,000 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये जो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चन्दौली

नितिन रमेश गोकर्ण,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 14 अक्टूबर, 2017 ई० (आश्विन 22, 1939 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

21 सितम्बर, 2016 ई०

सं० 5442/23-36 (2012-2015) स्था०नि०स०।।–जिला पंचायत चंदौली द्वारा उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग कर जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठा, टाईल्स, खपड़ा, चूना अथवा सुर्खी भट्ठी आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाई गयी है जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

1–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं आदि जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठा, टाइल्स, खपडा, चूना तथा सूर्खी भट्ठी आदि बिना जिला पंचायत चन्दौली से लाइसेंस प्राप्त किये न स्वयं बनायेगा, न फूंकेगा और न किसी और से बनवायेगा और न फुंकवायेगा।

2–इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाइसेंस/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा–

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय, ऐसी इमारतें या स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हों, ईट, भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सूर्खी भट्ठी 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया जायेगा या फूंका जायेगा, न ही बनवाया या फुंकवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के मध्य से 200 फीट तथा अन्य मार्गों से 25 मीटर के भीतर ईट भट्ठा, टाइल्स, खपडा, चूना तथा सूर्खी भट्ठी से सम्बन्धित भट्ठे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही उसके बनाने या निर्माण या फूंकने का प्रयत्न किया जायेगा।

29 हि० सं०-6

(ग)–[1] आम के बागान से ईंट भट्ठे की दूरी पूर्व पश्चिम दिशा में 1.5 किमी तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

[2] उपरोक्त निर्धारित दूरी आम के केवल देशी या कलमी बागों पर लागू होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले या कई बागों का संयुक्त रूप से ढाई एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उनकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा। उन्हीं बागों का क्षेत्रफल संयुक्त समझा जायेगा जो एक दूसरे से मिले हों।

3–जिला पंचायत चन्दौली के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, जिला पंचायत लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स देने, बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4–लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है, इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

5–लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

6–अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित-रूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु0 20.00 तथा नवीनीकरण हेतु रु0 20.00 प्रति आवेदन-पत्र होगा। आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को स्थल का राजस्व अभिलेख, जो 06 माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लीज पर लिया गया हो, तो उसका इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

7–अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र कार्य प्रारम्भ करने से एक माह पूर्व जिला पंचायत कार्यालय, चन्दौली में किया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हों, तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र की तिथि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8–अनुज्ञा-पत्र शुल्क निम्नवत् होगा–

	रु0 वार्षिक
(1) चिमनीदार ईंट भट्ठा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	20,000.00
(2) लहनावाला देशी पद्धति ईंट निर्माण	5,000.00
(3) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	2,000.00
(4) इंजन शक्ति द्वारा चालित सूर्खी तथा चूने की भट्ठी लगाने का शुल्क	5,000.00
(5) बैलों द्वारा चालित चक्की से भट्ठी लगाने पर	2,500.00

9–अनुज्ञा शुल्क में प्रत्येक 3 वर्ष पर 15 प्रतिशत वृद्धि होगी, जो जिला पंचायत की बैठक में अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत मानी जायेगी।

10–भट्ठे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम, उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

11–यदि ईंट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा चूना तथा सूर्खी भट्ठी मालिक आदि लाईसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें, तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

12–प्रत्येक वर्ष के 01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर रु0 1,000.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस न होने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

13–कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गयी हो, मांगे तो देने से इंकार नहीं करेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, चन्दौली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 तक होगा। ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकता है अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

सं0 5443 / 23-36 (2012-2015) स्था0नि0स0क0–जिला पंचायत चन्दौली द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, सरकार द्वारा दिये गये ठीके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें व्यापारियों / दुकानदारों / फर्म / कारखाना मालिक आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि बनाई गयी है जिसकी मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम, की धारा 242 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूँ, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि में प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियां

1–कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों / दुकानदारों / फर्म / कारखाना मालिक आदि जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय / व्यापार बिना जिला पंचायत, चन्दौली से लाइसेंस प्राप्त किये न स्वयं करेगा, न करायेगा।

2–इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाइसेंस / अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(1) लाइसेंस का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और न ही अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् व पुनः जारी किये जा सकेंगे।

(2) लाइसेंस नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे।

(3) लाइसेंस एकल व्यवसाय का ही जारी किया जायेगा।

(4) लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(5) प्रत्येक लाइसेंस धारक को अपनी दुकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट रूप में लिखा होगा।

3–जिला पंचायत चन्दौली के मुख्य अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने प कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस दें बदलने / समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिका होगा।

4–इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेंस शुल्क का 5 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेंस अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसें शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

5–लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत को 30 दिन के अन्दर अपील क जा सकती है। इस सम्बन्ध उनका निर्णय अन्तिम होगा।

6–लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

7—लाइसेंस प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित-रूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य 10.00 रुपया तथा नवीनीकरण हेतु 10.00 रुपया प्रति आवेदन-पत्र होगा।

8—लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, कार्य प्रारम्भ करने से एक माह पूर्व कार्यालय, जिला पंचायत चन्दौली में दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हों, तो पूर्व लाइसेंस की तिथि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9—खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदार द्वारा ऐसी धातु के बर्तन का प्रयोग न किया जाय, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हों, उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट न हो।

10—इन उपविधियों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती लाइसेंस को 30 अप्रैल तक नवीनीकरण कराना होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस बनवाने पर प्रतिमाह 25 रुपये की दर से विलम्ब शुल्क जमा कर 30 जून तक एवं 30 जून के बाद 50 रुपये प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

11—अवयस्क (नाबालिग) किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा।

12—कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसायियों को जिला पंचायत, चन्दौली के लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13—कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसायियों को अपने फर्म में साफ-सफाई एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

14—नाबालिगों को काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

15—लाइसेंस शुल्क निम्नवत् होगा—

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	लाइसेंस शुल्क की दर
1	2	3
		रु0
1	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की छोटी/फुटकर दुकान	200.00
2	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी/बजाजा दुकान	500.00
3	परचून, खाद्य सामग्री की दुकान	250.00
4	मीठा की दुकान	250.00
5	होटल या ढाबा	500.00
6	चाय या चाट की दुकान	150.00
7	इमारती लोहे की दुकान	500.00
8	इमारती लकड़ी फर्नीचर की आदि बनाने का व्यवसाय की दुकान	200.00
9	चमड़ा, प्लास्टिक आदि जूता-चप्पल की दुकान	200.00
10	गल्ला का व्यवसाय की फुटकर दुकान	100.00
11	गल्ला का व्यवसाय की आढ़त	250.00
12	पीतल, करकुट, गिलट, स्टील, एल्युमिनियम के बर्तनों की दुकान	250.00
13	लोहे के बर्तन औजार की दुकान	150.00
14	सोना, चांदी के आभूषण की दुकान	300.00
15	लोहे, गिल्ट, करकुट के आभूषण व घुंघरू रस्सी की दुकान	100.00
16	स्टेशनरी की दुकान	200.00

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	लाइसेंस शुल्क की वर्तमान दर	लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के उपरान्त नई प्रस्तावित दर
1	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की छोटी/फुटकर दुकान	200 पिछले वर्ष [illegible]	वर्तमान वर्ष [illegible] 230
2	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी/बजाजा दुकान	500	575
3	परचून खाद्य सामग्री की दुकान	250	288
4	मीठा की दुकान	250	288
5	होटल या ढाबा	500	575
6	चाय या चाट की दुकान	150	173
7	इमारती लोहे की दुकान	500	575
8	इमारती लकड़ी फर्नीचर की आदि बनाने का व्यवसाय की दुकान	200	230
9	चमड़ा,प्लास्टिक आदि जूता–चप्पल की दुकान	200	230
10	गल्ला का व्यवसाय की फुटकर दुकान	100	115
11	गल्ला का व्यवसाय की आढ़त	250	288
12	पीतल,करकुट, गिलट, स्टील, एल्मुनियम के बर्तनों की दुकान	250	288
13	लोहे के बर्तन ,औजार की दुकान	150	173
14	सोना,चांदी के आभूषण की दुकान	300	345
15	लोहे,गिल्ट, करकुट के आभूषण व घुंघरू रस्सी की दुकान	100	115
16	स्टेशनरी की दुकान	200	230
17	छरी,कम्बल,कालीन की दुकान	200	230
18	देशी कमरी टाट पट्टी कथकरघा कपड़े की दुकान	100	115
19	लकड़ी के टाल या कोयले की दुकान	250	288
20	पेट्रोल,डीजल पम्प	5000	5750
21	नई साइकिल विक्रय की दुकान	500	575
22	साइकिल मरम्मत का व्यवसाय या फुटकर पूर्जो की दुकान	150	173
23	विसातखाना,चूड़ी,कंधी, क्रांकरी, ताला,चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लाटिक के अन्य सामान	200	230
24	क्रांकरी, जनरल स्टोल तथा प्लाटिक के अन्य सजावटी सामान	200	230
25	सिचांई इंजन,कृषि मशीनों तथा चारा मशीन तथा उनके पूर्जे व पार्ट विक्रय	500	575
26	बीड़ी, सिगरेट ,पान, तम्बाकू की दुकान	100	115

27	घड़ीसाज/मोबाइल की दुकान	300	345
28	घड़ीसाज/मोबाइल की मरम्मत की दुकान	200	230
29	रेड़ियों,लाउडस्पीकर, बिजली के सामान के विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	200	230
30	हेयर कटिंग	100	115
31	टेलारिंग का व्यवसाय की दुकान	100	115
32	किरोसीन,डीजल, आयल तथा मोबिल ऑयल विक्रय की दुकान	500	575
33	हैवी लाइट व्हीकलस, ट्रैक्टर,मोटरसाइकिल के टायर, कल पूर्जो की दुकान	300	345
34	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	100	115
35	खोवा उत्पादक	100	115
36	खोवा विक्रेता	100	115
37	चूड़ा,लाई,मूंगफली, गट्टा खिलौना बिस्कुट व पट्टी की दुकान	100	115
38	देशी वनस्पति घी तथा कड़ुवे तेल व अन्य खाद्य तेलों के विक्रय की दुकान	200	230
39	बेत,बांस–बल्ली लट्ठा व लाठी की दुकानें	100	115
40	साग–सब्जी–भांजी तथा फल की दुकान	50	58
41	दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	100	115
42	प्रिन्टिंग प्रेस	500	575
43	बालू–सीमेन्ट,मोरंग, चूना–सुर्खीवार, गिट्टी,पेंट की दुकान	500	575
44	मेडिकल स्टोर/मेडिकल प्रेक्टीशनंर	500	575
45	खाद की दुकान	350	403
46	इलेक्ट्रोस्टेट/फोटोस्टेट	200	230
47	पी0सी0ओ0	200	230
48	टेपरिकार्डर/टी0वी0 आदि इले0 सामान	300	345
49	मोटरसाइकिल/स्कूटर मरम्मत की दुकान	100	115
50	ट्रैक्टर /जीप, कार, ट्रक आदि की मरम्मत की दुकान	150	173
51	टायर–टयूब पंचर/ हवा की दुकान	50	58
52	कबाड़ी की छोटी दुकान	350	403
53	कबाड़ी की बडी दुकान	1000	1150
54	इन्जीनियरिंग बर्क्स	250	288
55	इलेक्ट्रिक वेल्डिंग	250	288
56	गैस वेल्डिंग	100	115
57	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	150	173
58	गैस एजेन्सी	1500	1725
59	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	250	288
60	सीमेन्ट जाली, पाइप आदि की दुकान	350	403

61	लोहे के बाक्स,ट्राली,थैंसर आदि	500	575
62	नल बोरिंग की दुकान	500	575
63	बैट्री मरम्मत चार्जर / बिकी की दुकान	100	115
64	मिट्टी के तेल / फुटकर डीजल की दुकान	250	288
65	सरकारी गल्ले, कोटा आदि की दुकान	500	575
66	ठेका देशी शराब / विदेशी शराब / भांग		0
अ	देशी शराब	750	863
ब	विदेशी शराब	1000	1150
स	बीयर	1000	1150
द	भांग	100	115
67	टेन्ट हाउस	1000	1150
68	लाइट हाउस एवं साउण्ड सर्विस	500	575
69	फोटो स्टूडियों / फोटो फ्रेमिंग	200	230
70	लाण्ड्री की दुकान	100	115
71	पेय पदार्थ लस्सी / शर्बत / कोल्ड ड्रिंग आदि	150	173
72	बिस्कुट, डबल रोटी आदि निर्माता / विक्रेता	300	345
73	डेन्टिगं एवं पेन्टिंग की दुकान	300	345
74	आतिशबाजी विक्रेता / निर्माता	300	345
75	तम्बाकू की दुकान	100	115
76	सिनेमा अस्थायी	1000	1150
77	सिनेमा स्थायी	1500	1725
78	सिनेट्री फिटिंग	100	115
79	भूसा व चारा	500	575
80	बैण्ड बाजा / डी0जे0	350	403
81	कुल्फी--बर्फ, आइसक्रीम की फुटकर दुकान	100	115
82	पोल्ट्री फार्म	350	403
83	डेरी फार्म	500	575
84	नर्सरी फार्म	250	288
85	आटा चक्की	200	230
86	आरा मशीन	1500	1725
87	धान मशीन	500	575
88	आइस कैण्डी	500	575
89	तेल मशीन / स्पेलर	500	575
90	रूई मशीन	250	288
91	दाल मशीन	2000	2300
92	मिनी राइस मिल	2500	2875
93	राइस मिल	5000	5750
94	पायलेसर	500	575
95	कोल्ड स्टोर	5000	5750
96	बर्फ फैक्ट्री	3000	3450

97	आटा,मैदा,सूजी मिल	2000	2300
98	आइसक्रीम फैक्ट्री	1000	1150
99	आलू आढ़त	250	288
100	पीपरमेंट आढ़त	500	575
101	सीमेन्ट ह्यूमपाइप निर्माण कारखाना	10000	11500
102	सीमेन्ट कारखाना	10000	11500
103	सीमेन्ट चादर कारखाना	10000	11500
104	खाद कारखाना	10000	11500
105	जूता–चप्पल निर्माण कारखाना	10000	11500
106	चीनी मिल	10000	11500
107	सब्जी / फल आढ़त	500	575
108	ट्रैक्टर एजेंसी	5000	5750
109	मोटरसाइकिल / कार व वाहन एजेंसी	5000	5750
110	मिनरल वाटर फैक्ट्री	10000	11500
111	आलमारी / बाक्स कारखाना	1500	1725
112	साबुन एवं वाशिंग पावडर कारखाना	10000	11500
113	मोमबत्ती / अगरबत्ती कारखाना	1000	1150
114	पीतल बर्तन / एल्युमीनियम बर्तन कारखाना	1500	1725
115	वजन धर्मकांटा	500	575
116	ट्रक व बस बॉडी मेकर	1500	1725
117	आचार,सिरका / मुरबा कारखाना	1000	1150
118	प्लास्टिक सामान कारखाना	5000	5750
119	अन्य सामग्री निर्माण कारखाना	10000	11500
120	कम्प्यूटर सामान विकेता	500	575
121	फुल का थोक व्यवसाय	300	345
122	अण्डा,मांस,मछली,मुर्गा की दुकान	250	288
123	ब्यूटी पालर की दुकान	200	230
124	गुड का कारखाना	1000	1150
125	सीमेन्ट गमला / जाली कारखाना	3000	3450
126	टैक्टर ट्राली, थैंसर,सटर,ग्रील बनाने का कारखाना	2000	2300
127	हाट मिक्स प्लांट	10000	11500
128	सिलाई मशीन की दुकान	500	575
129	सिलाई मशीन रिपेरिंग की दुकान	300	345
130	सिलाई मशीन / साइकिल निर्माण का कारखाना	5000	5750
131	स्टील प्लांट का कारखाना	10000	11500
132	बालू,मोरंग, गिट्टी,सारिया,सीमेन्ट की दुकान	800	920
133	ट्रांसपोर्टर	1000	1150
134	अन्य व्यवसाय जो इंगित न हो	1000	1150
135	खाद्य तेल / वनस्पति घी कारखाना	5000	5750

136	ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार	1000	1150
137	पोल्ट्री फार्म	3000	3450
138	इण्टर लाकिंग ईट	10000	11500
139	पशु अहार का कारखाना	10000	11500
140	हार्डवेयर की दुकान	1000	1150
141	जुस कार्नर की दुकान	200	230
142	नर्सिंगहोम / हास्पिटल (1360 वर्ग फीट तक)	5000	5750
143	" " (1360 वर्ग फीट से उपर 10000 वर्ग फीट तक)	25000	28750
144	विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल टावर संचालन	25000	28750

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चन्दौली